न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 403/2018

1. ग्यारसी पुत्री स्व. चौथू पत्नि नारायण जाति रैगर निवासीः ग्राम कूकस, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. शान्ति देवी पुत्री स्व. चौथू पत्नि अमर चन्द निवासीः घटवाडी, बोबाडी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. गुलाब पुत्री स्व. चौथू पत्नि सूरजमल निवासीः घटवाडी, बोबाडी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. नाथू पुत्र चौथू रैगर जाति रैगर निवासीः ग्राम बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. शंकर पुत्र चौथू रैगर जाति रैगर, निवासीः ग्राम बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.05.2018 सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, आमेर, जिला जयपुर वाद संख्या 35/2017 उनवानी नाथू बनाम शंकर व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री एन.के.यादव एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री लालचन्द जाट एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय दिनांकः 27.07.2020

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर, जिला जयपुर के वाद संख्या 35/2017 बउनवानी नाथू बनाम शंकर व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 10.05.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल खसरा नंबर 1535 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1536 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1537 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1538 रकबा 0.69 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.61 हैक्टेयर वाके ग्राम बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। कृषि भूमि विवादग्रस्त में वादी का 2/3 हिस्सा निहित है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने अपने हिस्सो अनुसार अपने अपने हक व अधिकार की भूमि पर मनबट अनुसार काबिज काश्त होकर कृषि भूमि की उपज का लाभ प्राप्त करते आ रहे है। कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शामलाती दर्ज है जबकि पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने अपने उक्त वर्णित हिस्सो अनुसार ही भूमि का पूर्व में मनबट के अनुसार मौके पर भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है व बाहमी विभाजन के अनुसार वादी व प्रतिवादी बाहमी विभाजन में आई हुई अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व काश्त है तथा वादी के हिस्से में आई हुई भूमि में वादी ने खसरा नंबर 1538 के दक्षिण पश्चिम कोने में मकान व पशुओं का बाडी व खेल इत्यादि बना रखी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने भी अपने हिस्से की भूमि पर निवास हेतु मकान इत्यादि बना रखे है तथा इसी अनुसार पक्षकार अपने अपने हिस्सों की भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त होकर कृषि कार्य कर फसल का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। विवादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती कृषि भूमि है तथा राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती भूमि दर्ज होने से अब प्रतिवादी संख्या 1 अनावश्यक रूप से आये दिन वादी को हैरान व परेशान करता रहता है तथा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज होने से प्रोपर्टी डीलर्स को विक्रय करने व वादी को भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकियां देता रहता है तथा वादी को अपने हिस्से की भूमि जो उसे पूर्व में किये गये बाहमी बंटवारा के अनुसार प्राप्त भूमि पर कृषि कार्य करते रहना मुश्किल होता जा रहा है इसलिये मान्य न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा अपने अधिकारों की रक्षार्थ यह दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर हाल खसरा नंबर 1535 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1536 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1537 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1538 रकबा 0.69 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.61 हैक्टेयर वाके ग्राम बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है, का पक्षकारान के मध्य पूर्व में किये गये बाहमी विभाजन के अनुसार विभाजन किया जाकर खाता अलग अलग किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत विभाजन करवाये बिना विशिष्ट भू भाग का बेचान नहीं करे, ना ही वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करे, न ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर बाद बहस मनन अपने निर्णय दिनांक 10.05.2018 के द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार आमेर को आदेशित किया कि वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुरैजात तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का उसके सहकाश्तकारों के मध्य काफी समय पूर्व से ही मनबट के आधार पर बंटवारा हो रखा है एवं वर्तमान में समस्त पक्षकारान मनबट बंटवारे के अनुसार ही काबिज काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर ना तो तनकीयात कायम की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

एवं ना ही साक्ष्य सबूत ग्रहण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पर कोई स्वीकारोक्ति नहीं दी थी बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के हितों की अनदेखी करते हुये एवं मौके के विपरीत प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित किये जाने में महान कानूनी त्रुटि कारित की है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2018 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013 (3) डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) पेज 526 पेश किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 10.05.2018 विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किये जाने के आदेश पारित किये है। प्रकरण के इस स्तर पर अपीलार्थी की यह आपत्ति विचारणीय नहीं है। अपीलार्थी ने मात्र प्रकरण मे देरी करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.05.2018 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार वर्तमान खातेदारान के मध्य विभाजन का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी के अतिरिक्त भूमि के एकमात्र सहखातेदारान प्रतिवादी शंकर द्वारा कोई जवाबदावा इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलान्ट्स जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार विवादग्रस्त आराजीयात की रिकॉर्डेड खातेदारान नहीं है, के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत् विवादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि बताते हुये वाद में पक्षकार बनने के लिये पेश किया गया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.05.2018 के माध्यम से पूर्ण विवेचित करते हुये खारिज फरमा दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र के समर्थन में एवं न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के समर्थन में विवादग्रस्त आराजीयात को पूर्व में अपने पिता स्व. चौथू की होने के कारण भूमि पैतृक दर्शित करने वाले तथ्य की प्रमाणिकता बाबत् कोई दस्तावेजात् साक्ष्य सबूत इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि विवादग्रस्त आराजीयात वादी नाथू एवं प्रतिवादी शंकर को अपने पिता स्व. चौथू से विरासत स्वरूप प्राप्त हुई हो। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में प्रस्तुत दस्तावेजात मिलान क्षेत्रफल, खतौनी बंदोबश्त, जमाबंदी संवत् 2034–2037 इत्यादि के अवलोकन पश्चात् पाया गया कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार विवादग्रस्त आराजीयात के साबिक खसरा नंबर 336 होना प्रमाणित है। खतौनी बंदोबश्त अनुसार खसरा नंबर 336 पूर्व में सिवाचयक लगान मजकूर होना प्रमाणित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी इत्यादि के अवलोकन से साबित है कि उक्त खसरा नंबर 336 की भूमि रकबा 6 बीघा सुवा, नाथू,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

शंकर पिता चौथू के नाम दर्ज है। इस प्रकार न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजीयात अपीलान्ट्स के पिता स्व. चौथू की खातेदारी भूमि नहीं है। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजीयात सुवा, नाथू, शंकर पिता स्व. चौथू की स्वअर्जित सम्पत्ति है इस कारण विवादग्रस्त आराजीयात अपीलान्ट्स की पैतृक सम्पत्ति न होने से अपीलान्ट्स का उक्त आराजीयात में कोई हक अधिकार होना नहीं पाया जाता है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2018 से विवादग्रस्त आराजीयात में कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रमावित पक्षकार होना नहीं पाये जाते है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। इस कारण अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. बाबत इजाजत अपील प्रस्तुति खारिज किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती हैं।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, आमेर, जिला जयपुर का प्रारंभिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2018 यथावत रखा जाता है। पक्षकारान अग्रिम कार्यवाही बाबत दिनांक 11.08.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 27.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर